RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35 / 2024

अपीलांटगण–

1. श्री घेवरराम पुत्र हस्ताराम
2. श्रीमती तारोदेवी पत्नी बुलाराम
3. श्री पेमाराम पुत्र बुलाराम
4. श्री पुरखाराम पुत्र बुलाराम
5. श्री पुरखाराम पुत्र हस्ताराम
6. श्री बाबूलाल पुत्र बुलाराम
7. श्री मोटाराम पुत्र हस्ताराम
8. श्री राजूराम पुत्र बुलाराम

जातियान दर्जी, निवासीयान गंगाणियों की ढाणी, कालेवा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री गोविन्दराम पुत्र मगनाराम
2 श्री चंपा पुत्र मगनाराम
3 श्री शंकर पुत्र मगनाराम
4 श्रीमती हरखूदेवी पत्नी पन्नाराम
5 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी रूपाराम
6 श्री सवाईराम पुत्र मालाराम
7 श्री घेवर पुत्र चुतराराम
8 श्री निम्बाराम पुत्र चुतराराम
9 श्री रमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार
10 श्री श्याम कुमार पुत्र सुरेश कुमार
11 श्रीमती संगीता पत्नी सुरेश कुमार निवासीयान गंगाणियों की ढाणी, कालेवा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
12 श्री प्रबन्धक पंजाब नेशलन बैक पचपदरा।
13 श्री प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक पाटोदी
14 श्री तहसीलदार पचपदरा
15 श्री उप तहसीलदार (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी)
16 श्री सरपंच ग्राम पंचायत, कालेवा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 2021 / 10 दिनांक 26.11.2021 जो उप तहसीलदार पाटोदी, (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी , अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 17.06.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 15 उप तहसीलदार पाटोदी, (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित क्रमांक/राजस्व/2021/10 दिनांक 26.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.05.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा गंगोणियों की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा, उप तहसीलदार पाटोदी, (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के खेत खसरा संख्या 876/465 रकबा 222.07 बीघा, भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 06.07.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन क्रमांक/राजस्व/2021/10 दिनांक 26.11.2021 को पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि जबाव यह है किं अपीलांटगण स्वयं द्वारा विभाजन हेतु दिनांक 06.07.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया, उक्त आवेदन पत्र अपीलांटगण स्वयं ने अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान लगाकर सरपंच ग्राम पंचायत कालेवा के रूबरू आवेदन के साथ अपने फोटो लगाकर नजरी नक्शा पेश किया गया एवं उसकी, पालना में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प स्थल कंवरली /सुरजबेरा के समक्ष आवेदन मय नक्शा पेश किया गया, जिस पर उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा आदेश कमांक/राजस्व/2021/10 दिनांक 26.11.2021 को स्वीकृत किया गया, जिस पर राजस्व रेकर्ड में मौके पर काबिज व हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज किया गया। उक्त सभी खसरान के राजस्व रेकर्ड में तरमीम की गई जिसमें श्री न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई एवं मौका रिपोर्ट में मौके पर काबिज अनुसार अपीलांटगण के उपरोक्त खसरान की तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है जो मौके पर काबिज अनुसार है। अपीलांट व रेस्पोडेंट की मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में सही तरमीम दर्ज है. जिससे किसी भी कास्तकार को मौके पर किसी प्रकार की कोई असुविधा या क्षति नहीं हो रही है। अतः

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाहर होने से खारिज करने करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी भूमि मौजा गंगोणियों की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा, तहसील पाटोदी के खेत खसरा संख्या 876/465 रकबा 222.07 बीघा, भूमि अवस्थित है। अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 1 से 12 ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उत्तरदाता संख्या 15 तहसीलदार पाटीदी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 1 से 12 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु आवेदन उपतहसीलदार पाटीदी के समक्ष पेश किया। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 1 से 12 के दबाव में रहते हुऐ विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदलते हुऐ अपीलान्टगण के व रेस्पोडेंटगण द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर उप तहसीलदार पाटौदी (वर्तमान तहसीलदार, पाटोदी) के समक्ष पेश कर दिया तथा इस समस्त कार्यवाही का अपीलांटगण को कानूनी बारिकीयों से अनभिज्ञ होने से ज्ञान नहीं हो सका और अपीलांटगण के तहसील कार्यालय से चले जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांटगण को पूर्व में नही हुआ था तथा वर्तमान में अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलान्टगण ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि की तारबंदी आदि की जाने लगी तब उत्तरदाता संख्या 1 से 12 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही तारबंदी करने का कहा, जिस पर अपीलान्ट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है, जिस पर उत्तरदातागण ने कहा कि मौके की स्थिति में व तरमीम में भिन्नता है। दो सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विद्वान उप तहसीलदार पाटौदी ने वादग्रस्त भूमि किस्म, उपजाऊपन व समतल धोरे आदि के इन अहम मुद्धों को अनदेखा कर तथा आने जाने हेतु रास्ता की सुविधा प्रदान नहीं करते हुऐ बंटवाडा आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टगण को कानूनी बारिकियों की जानकारी न होने व अनपढ़ होने से अपने भाईयों पर विश्वास कर उन्होंने अपने अगुष्ठ निशान कर कागजात उत्तरदाता व हल्का पटवारी को दिये उसके बाद अपीलान्टगण को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने उतरदातागण के साथ मिलीभगत करते हुऐ पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा गलत रूप से मुर्तिब किया गया, जिससे भी उक्त बंटवाडा प्रारम्भ से ही दुषित आदेश की श्रेणी मे आता है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्टगण व रेस्पोडेंटगण के मध्य पूर्व में हुऐ बाहामी बंटवाडे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलान्टगण की ढाणी, बाडे आदि रेस्पोडेंटगण के कब्जे में चले गये है। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया है बल्कि रेस्पोडेंटगण के दबाव में रहते हुऐ अच्छी किस्म की भूमि व रास्ते की बहुमूल्य भूमि अपने हिस्से में रखते हुऐ किया गया है। हल्का पटवारी ने बंटवाडे का नक्शा बनाते समय मौके की स्थिति ध्यान में रखे बिना ही अपीलान्टगण के हिस्से में धोरे की भूमि रख दी गई जबकि राजस्व नियमों के अनुसार मौके की किस्म के अनुसार बंटवाडा किया जाना आवश्यक होता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में भूमि की किस्म को ध्यान रखे बिना ही गलत रूप से बंटवाडा

जिला कलक्टर
बालोतरा

किया गया है। हस्तगत बंटवाडे में अपीलान्ट को अपने खेत तक आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा प्रदान नहीं की गई है तथा अपीलान्ट को रास्ते से वंचित रखा गया है तथा उक्त बंटवाडे के अनुसार पक्षकारान की ढाणिया, चारबाडे आदि एक दूसरे की तरमीम में चली गई है। अतः इन समस्त आधारों के आधार पर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने व मौके पर भौतिक कब्जा काश्त के अनुसार न होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में यह भी कथन किया कि श्रीमान के द्वारा चाही गये मौके, रेकर्ड की रिपोर्ट में हल्का पटवारी, भू–निरीक्षक पाटोदी ने दिनांक 23.04.2025 को मौका निरीक्षण किया एवं मौके पर रिपोर्ट तैयार की जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया कि कि खसरा संख्या 876/465 रकबा 222.07 बीघा का बंटवाड़ा किया गया जो मौका स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित है एवं संयुक्त रूप से रखा गया रास्ता जो खसरा संख्या 989/465 से अपीलांटगण के हिस्से की भूमि के टूकड़े हो रहे है, प्रस्तावित रूप से रखे गये रास्ते के बदिशा दक्षिण–पश्चिम में अपीलांटगण की खातेदारी भूमि का भाग मौके पर शेष रहता है। पक्षकार हरकू का घर खसरा संख्या 991/465 में होना चाहिये जबकि मौके पर घर खसरा संख्या 988/465 में आ रहा है। इसी प्रकार पक्षकार शंकर का घर खसरा संख्या 991/465 की तरमीम में आना चाहिये था, जबकि मौके पर उक्त घर खसरा संख्या 992/465 में आ रहा है। अपीलांट बाबुलाल पुत्र बुल्लाराम का कब्जा मौका रिपोर्ट के संलग्न मार्क APDC है, जबकि वर्तमान लटटा ट्रेस में उसकी तरमीम उसके विपरित है जिसे रिपोर्ट के नक्शा में मार्क XPDZ से अंकित किया गया है। सार्वजनिक सभा भवन व रसोई के लिये संयुक्त रूप से अपीलांट बाबूराम ने आधा बीघा भूमि व रेस्पोडेंट चम्पाराम ने आधा बीघा भूमि सरेण्डर की थी, जबकि उक्त सम्पूर्ण रकबा अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि में ही सम्मिलित रूप से रख दिया। इस कारण उक्त 01 बीघा भूमि हम अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि में से बाद देने पर अपीलांटगण के हिस्से में 01 बीघा भूमि कम हो जायेगी, इस कारण रेवेन्यु रेकर्ड व मौके के विपरित बंटवाड़ा की तरमीम की गई है। अतिरिक्त इसके जहां कटाण का रास्ता अवस्थित है वहां तरमीम रास्ते की हुई नहीं और जहां तरमीम हुई है वहां रास्ता मौके पर चल नहीं रहा है। खसरा संख्या 991/465 के खातेदार का टांका खसरा संख्या 992/465 की परिधि में आ रहा है जो मालिकाना हक के विपरित है। अपीलांटगण के खसरा संख्या 993/465 खातेदारी की है जिसका टांका आवागमन हेतु रखी गयी भूमि की परिधि में गलत तरमीम की वजह से आ रहा है, इसी प्रकार खातेदार खसरा संख्या 993/465 की ढ़ाणी, पानी का टांका खसरा संख्या 995/465 की तरमीम में आ रहा है, अपीलांट संख्या 8 राजूराम के पानी का टांका भी उसकी खातेदारी भूमि में जो बना हुआ है वो उक्त अपीलाधीन बंटवाड़ा के जरिये की गई तरमीम के अनुसार रास्ते हेतु रखी गयी भूमि खसरा संख्या 995/465 की परिधि में आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट संख्या 1 घेवरराम का पानी का टांका भी खसरा संख्या 994/465 की परिधि में आ रहा है जो मालिकाना हक के विपरित है, इसलिये उसकी दुरूस्ती करना न्यायहित में आवश्यक है। मौके पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा उपस्थिति होकर बाद नाप सीमाज्ञान भौतिक रूप से सीमाकंन नहीं किया गया, इस कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी, भू–निरीक्षक, तहसीलदार द्वारा श्रीमान को पेश की गई मौका रिपोर्ट से ही हो रही है। मौके पर भौतिक कब्जा अनुसार रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं होने की वजह से

जिला कलक्टर
जालोरा

विवाद की स्थिति है, खातेदारान के रहवासीय घर, पानी के टांके, आवागमन के रास्ते इत्यादी सभी प्रभावित हो रहे है, ऐसी स्थिति में वर्तमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढ़ाणीयां, पानी के टांके इत्यादी प्रभावित नहीं हो के बिन्दू को ध्यान में रखकर पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा की कार्यवाही करना न्यायहित में आवश्यक है ताकि विवाद का निस्तारण हो सके एवं भविष्य में वेवजह मुकदमेंबाजी भी नहीं बढ़े। अतः आपसी सहमति के आधार पर हुए बंटवाड़ा की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त एवं भौतिक स्थिति के विपरित होने से बंटवाड़ा आदेश निरस्त कर पुनः मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाद सीमाकंन ढ़ाणी, टांका, आवागमन एवं कब्जा प्रभावित नहीं हो के अनुसार पुनः बंटवाड़ा करने हेतु उप तहसीलदार पाटोदी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावें।

7. रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी भूमि मौजा गंगोणियों की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा, तहसील पाटोदी के खेत खसरा संख्या 876/465 रकबा 222.07 बीघा, भूमि अवस्थित है। अपीलांटगण स्वयं द्वारा विभाजन हेतु दिनांक 06.07.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया, उक्त आवेदन पत्र अपीलांटगण स्वयं ने अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान लगाकर सरपंच ग्राम पंचायत कालेवा के रूबरू आवेदन के साथ अपने फोटो लगाकर नजरी नक्शा पेश किया गया एवं उसकी, पालना में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प स्थल कंवरली /सुरजबेरा के समक्ष आवेदन मय नक्शा पेश किया गया, जिस पर हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक पाटोदी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौके पर काबिज अनुसार निरीक्षण कर आवेदन पत्र व नजरी नक्शा के जरिये अपीलांटगण का आवेदन वास्ते आपसी सहमति बंटवाड़ा स्वीकार कर दिनांक 26.11.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा आदेश क़मांक/राजस्व/2021/10 के जरिये राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा अमल दरामद करवाने हेतु स्वीकृत किया गया, जिस पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में मौके पर काबिज व हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज किया गया एवं भौके पर काबिज अनुसार अलग तरमीम दर्ज की गई। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांटगण स्वयं द्वारा आवेदन पत्र पेश क राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाया गया जो वर्तमान में मौके पर अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण मौके पर काबिज कास्त अनुसार सही है। दिनांक 26.11.2021 के आदेश की पूर्ण जानकारी अपीलांटगण को थी, उस समय कोई किसी प्रकार का अपीलांटगण द्वारा उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के समक्ष कोई उज्ज, एतराज या आपत्ति पेश नहीं की गई। जिसमें अपीलांटगण द्वारा बंटवाड़े के रकबे को सही होना स्वीकार किया है, जबकि अपीलांटगण ने केवल मात्र अपने अपील में तथ्यों में यह बताया है कि विभाजन प्रस्ताव दबाव में तैयार करवाया गया, जबकि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था, यदि दबाव होता तो उस समय अपीलांटगण कानूनी कार्यवाही अवश्य करते मगर इस अपील के अलावा लम्बे समय तक अपीलांटगण ने कोई किसी प्रकार के विभाजन प्रस्ताव बाबत उज एतराज नहीं किया गया है। अपीलांटगण का विभाजन में मूल खेत खसरा नंबर 876/465 रकबा 222.07 बीघा भूमि में से नया खसरा संख्या 987/465 रकबा 5.6494 हैक्टेयर, खसरा संख्या 993/465 रकबा 5.3095 हैक्टयर खसरा संख्या 996/465 क्षेत्रफल 0.7284 हैक्टेयर दर्ज है। उक्त सभी खसरान के राजस्व रेकर्ड

जिला कलक्टर
बालोतरा

में तरमीम की गई जिसमें श्री न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई एवं मौका रिपोर्ट में मौके पर काबिज अनुसार अपीलांटगण के उपरोक्त खसरान की तरमीम राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज है जो मौके पर काविज अनुसार है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंटगण को हैरान परेशान करने की नियत से दिनांक 26.11.2021 के बंटवाड़ा आदेश को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की गई है। रेस्पोडेंटगण के खसरान मौके पर काविज अनुसार है एवं रेस्पोडेंटगण के काबिज खसरान में अपीलांटगण का कोई कब्जा नहीं है, न ही कब्जे को लेकर कोई विवाद ही है। अपीलांटगण द्वारा अपने अपील में आधार बताया है कि वादग्रस्त भूमि के किस्म उपजाउ व समतल धोरे व रास्ते की सुविधा का मुद्दा उठाकर न्यायालय में गलत अपील पेश की गई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट की मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड में सही तरमीम दर्ज है. जिससे किसी भी कास्तकार को मौके पर किसी प्रकार की कोई असुविधा या क्षति नहीं हो रही है, जिसके संबंध में न्यायालय श्री में मौका रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, मौका रिपोर्ट में भी किसी भी खातेदारान को असुविधा हो ऐसा आंकलन नही है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाहर होने से खारिज करने करने का आदेश फरमावे।

8. हमने अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा गंगोणियों की ढाणी, पटवार हल्का कालेवा, तहसील पाटोदी के खेत खसरा संख्या 876/465 रकबा 222.07 बीघा, भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक 06.07.2021 को उप तहसीलदार पाटोदी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन क्रमांक/राजस्व/2021/10 दिनांक 26.11.2021 को पारित किया गया। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाटोदी से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद सरपंच, ग्राम पंचायत कालेवा, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवाड़ा आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित होना पाया गया। ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से तलब की गई मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड व मौके पर पक्षकारान की कब्जे की स्थिति में भिन्नता होना बताया गया है। जिससे उक्त खसरान संख्या में मौके व रकेर्ड में भिन्नता पाई जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया मूल पत्रावली के सलंगन नजरी नक्शा का अवलोकन किया जिसमें, खसरा संख्या 986/465, 985/465 में आवागमन हेतु रास्ता नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी, (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से, वर्तमान में पक्षकारान की मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित विभाजन क्रमांक/राजस्व/2021/10 दिनांक 26.11.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप तहसीलदार पाटोदी, (वर्तमान तहसीलदार पाटोदी) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं समस्त पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा